संख्या:364/2022/1355/35-4-2022/001-35-4099/407/2021

प्रेषक,

डा0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 04 नवम्बर, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद-वाराणसी में शासनादेश संख्या-535/2021/2460/35-4-2021 दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 15 कार्यो की रू0 296.65 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में रू0 222.05 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त शासनादेश से स्वीकृत 11 कार्य की रू0 239.60 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में रू0 165.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र सं0-533/त्व0आ0/2022-23 दिनांक 21 सितम्बर, 2022 द्वारा उक्त शासनादेश द्वारा कार्यों हेतु प्रथम किश्त में अवमुक्त की गई धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू. 74.60 लाख (रूपये चौहत्तर लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1.	गणेशपुरी कालोनी डा0वी0वी0भाटिया के घर से डा0दिवाकर राय के घर होते हुए सुधीर श्रीवास्तव के घर से श्री रमेश नेगी के घर तक सड़क निर्माण का कार्य (सी0सी0कार्य)	20.81	15.00	5.81
2.	नासिरपुर-महामनापुरी कालोनी में सी0सी0मॉ संतोषी जनरल स्टोर से बी0एन0मिश्रा के घर तक सड़क निर्माण का कार्य (इण्टरलाकिंग कार्य)	19.10	15.00	4.10
3.	पहाड़ी पिच रोड से नवीन पटेल के घर से होते हुए राजू पाल के घर से श्री रामजानकी मंदिर तक सड़क निर्माण का कार्य (सी0सी0कार्य)	19.78	15.00	4.78
4.	गणेशपुरी कालोनी-लेन नं0-12 जयप्रकाश राय के मकान से नासिरपुर मुख्य मार्ग तक मार्ग का निर्माण (सी0सी0कार्य)	19.84	15.00	4.84
5.	डाफी-हनुमतनगर कालोनी मानू के मामू के बगीचा से रोहित शर्मा के मकान से अंकित शर्मा के मकान तक मार्ग का निर्माण (पेन्टिग कार्य)	23.35	15.00	8.35
6.	औढे-सुरेश सिंह के घर से कौशलेश नगर कालोनी होते हुए पंचकोसी रोड तक मार्ग का निर्माण (पेन्टिग कार्य)	16.83	15.00	1.83

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
7.	अलाउद्दीनपुर खपडहवा-मोहन पाण्डे के मकान से महेश सिंह के मकान तक मार्ग का निर्माण (इण्टरलाकिंग कार्य)	19.04	15.00	4.04
8.	ख्यौली-डी0आर0एस0पब्लिक स्कूल के बगल से पटेल बस्ती तक मार्ग का निर्माण (पेन्टिग कार्य)	33.97	15.00	18.97
9.	कन्दवा-कुट्टी बाबा मन्दिर अजय मिश्रा के घर से बी0एल0 डब्ल्यू0बाउण्ड्री तक मार्ग का निर्माण (सी0सी0कार्य)	15.46	15.00	0.46
10.	औढे-चन्द्रमा सिंह के मकान से होते हुए गया प्रसाद मिश्रा के मकान से रविशंकर मिश्रा के मकान तक मार्ग का निर्माण (पेन्टिग कार्य)	22.45	15.00	7.45
11.	कोटवा आटो स्टैण्ड अशोक गुप्ता के मकान से लहरतारा सरहरी सम्पर्क मार्ग का निर्माण (सी0सी0कार्य)	28.97	15.00	13.97
	योग	**239.60**	**165.00**	**74.60**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 74,60,000 (रूपये चौहत्तर लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:364/2022/1355(1)/35-4-2022/001-35-4099/407/2021 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, वाराणसी
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, वाराणसी
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।